



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234284
CG-DL-E-17032022-234284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

No. 74]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

विषय : थाइलैंड से “सेकरीन” के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 07/05/2022-डीजीटीआर.—मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे ‘आवेदक’ भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग के रूप में एक आवेदन दायर किया है जिसमें यह दलील दी गई है कि चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेकरीन” से (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू इस प्रवंचनारोधी शुल्क की थाइलैंड से निर्यातित “सैकरीन” (जिसे आगे जांचाधीन उत्पाद या (पीयूआई) भी कहा गया है) के आयातों के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।

क. पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 19 जून, 2019 के अंतिम जांच परिणाम सं. 6/18/2018-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. से “सैकरीन” के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 2/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. विचाराधीन उत्पाद "सैकरीन" है। मूल प्रतिकारी शुल्क/ अनुवृत्ति रोधी जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार था :

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "अपने सभी रूपों में सैकरीन" है। "सैकरीन एक गैर-पोषक स्वीटनर है और इसे गन्ना चीनी के लिए कम कैलोरी विकल्प माना जाता है। सैकरीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं यानि घुलनशील और अघुलनशील। बाजार की भाषा में घुलनशील सैकरीन को सोडियम सैकरीन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सैकरीन को सैकरीन या सैकरीन एसिड कहा जाता है। "सैकरीन" दो भौतिक रूपों में निर्मित होता है, अर्थात्। दानेदार और पाउडर। दानेदार रूप में सोडियम सैकरीन का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां सैकरीन को भंग कर दिया जाएगा, पाउडर के रूप में जिसे जमीन में डाला गया है और स्प्रे सुखाया गया है, सैकरीन का उपयोग सूखे मिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। यह पानी में थोड़ा घुलनशील है। सैकरीन के अघुलनशील रूप का उपयोग कई दवा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। सैकरीन का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है जैसे कि खाद्य और पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, टेबल टॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि। "सैकरीन" के सभी रूप वर्तमान जांच के दायरे में हैं।

4. संबद्ध वस्तु को उप शीर्ष 29251100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 अधीन वर्गीकृत किया जाता है

ग. जांच के अधीन उत्पाद (पीयू आई)

5. जांच के अधीन उत्पाद जिसकी चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की कथित रूप से प्रवंचना की गई है, थाइलैंड से निर्यातित "सैकरीन" है। जिसे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूआई" भी कहा गया है। पीयूआई सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष सं. 29251100 के तहत वर्गीकृत है। हालाँकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।
6. आवेदन मैसर्स द्वारा दायर किया गया है। स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो मूल जांच में घरेलू उद्योग थे। मैसर्स स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड न तो भारत में किसी आयातक से संबंधित है और न ही चीन, थाइलैंड में किसी निर्यातक से। इसके अलावा, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान पीयूसी या पीयूआई का आयात नहीं किया है।

घ. मौजूदा उपाय

7. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन से "सैकरीन" के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 2/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी) के माध्यम से उसे लगाया है। पीयूसी पर मौजूदा उपाय 29 जुलाई, 2024 तक लागू हैं।

ड. कथित प्रवंचना और उपचारात्मक उपायों को निष्प्रभावी करने के आधार

8. आवेदक ने प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन दिनांक 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 2/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से पीयूसी पर लगाए गए मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को थाइलैंड से पीयूआई पर लागू करने के अनुरोध के साथ दायर किया है जो मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की कथित रूप से प्रवंचना कर रहा है। आवेदक ने प्रवंचनारोधी जांच की मांग के लिए कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें शामिल हैं :

- (क) थाइलैंड में "सैकरीन" के किसी ज्ञात उत्पादक की गैर-मौजूदगी, जो पूर्णकालिक उत्पादन कार्यकलाप करता हो, भारत को थाइलैंड से भेजे गए "सैकरीन" के निर्यात अधिकांशतः चीन में विनिर्मित हैं जिनके थाइलैंड के मूल की वस्तु होने का दावा किया जा रहा है। थाइलैंड से उत्पाद के निर्यात चीन से आयातों पर लागू सीवीडी की प्रवंचना का कथित मामला बनते हैं।
- (ख) व्यापार की प्रवृत्ति में परिवर्तन जिसके द्वारा चीन से आयातों में गिरावट आई है, और थाइलैंड से आयात काफी अधिक बढ़ गए हैं।
- (ग) पीयूआई के आयात प्रथम दृष्टया सब्सिडीकृत हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(घ) थाइलैंड में सैकरीन की कम मांग और पीयूआई का थाइलैंड से निर्यात चीन से पी यू आई के आयातों के कारण मौजूद है।

9. आवेदक ने जांच शुरुआत की तारीख से थाइलैंड से प्रवंचना वाले उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने का अनुरोध किया है।
10. प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह नोट करते हैं कि थाइलैंड से भेजे गए "सैकरीन" के निर्यात चीन जन.गण. से पी यू सी के आयातों पर लागू मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपाय के उपचारात्मक प्रभावों को निष्फल कर रहे हैं।

च. जांच की शुरुआत

11. थाइलैंड से पीयूआई के आयात द्वारा चीन पीआर से पीयूसी के आयात पर लगाए गए मौजूदा प्रतिकारी शुल्क उपाय के उल्लंघन का विरोध करते हुए आवेदक द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर आवेदन के आधार पर और पैटर्न में बदलाव पर खुद को संतुष्ट करने के लिए मौजूदा प्रतिकारी शुल्क उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कम करते हुए, प्राधिकरण एतद्वारा अधिनियम की धारा 9क (1 क) और सीवीडी नियमों के नियम 25 और 26 के अनुसार मौजूदा के विस्तार पर विचार करने के लिए एक विरोधी परिधि जांच शुरू करता है। नियमों के नियम 27(3) के अनुसार इस जांच की शुरुआत की तारीख से थाइलैंड से आयातित पीयूआई को चीन से आयातित पीयूसी के आयात पर प्रतिकारी शुल्क। प्राधिकरण इस समीक्षा के पूरा होने तक थाइलैंड से पीयूआई यानी "सैकरीन" के सभी आयातों पर अंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करता है।

छ. जांच की अवधि

12. आवेदक ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) को अप्रैल 2021 - दिसंबर 2021 (9 महीने) के रूप में प्रस्तावित किया है, हालांकि, प्राधिकरण ने पीओआई को अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 (बारह महीने) माना है। क्षति की अवधि अप्रैल 2018 - मार्च 2019, अप्रैल 2019 मार्च 2020, अप्रैल 2020 - मार्च 2021 और जांच की अवधि शामिल है।

ज. शामिल देश

13. प्रवंचना में शामिल देश थाइलैंड है।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

14. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, ddl2-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
15. ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
17. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ञ. समय सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 37 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, ddl2-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
20. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ड. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2022

Subject: Initiation of anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention of countervailing duty imposed on imports of “Saccharin” from China PR

F. No.07/05/2022-DGTR.—1. M/s Swati Petro Products Private Limited (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), as domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), contending that these countervailing duties imposed on imports “Saccharin” (hereinafter also referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country") are being circumvented by way of imports of “Saccharin” exported from Thailand (hereinafter also referred to as "Product Under Investigation" or "PUI").

A. Background

- The Designated Authority had recommended countervailing duty on imports of “Saccharin” from China vide Final finding F. No. 6/18/2018- DGAD dated 19th June, 2019, which was notified by Notification No. 2/2019-Customs (CVD) dated 30th August, 2019.

B. Product under consideration (PUC)

- The products under consideration is "Saccharin". The product under consideration defined in the original Countervailing Duty/ Anti-subsidy investigation was as under:

“The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its forms”. “Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.”

- The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Sub-heading 29251100.

C. Product under Investigation [PUI]

- The product under investigation which are allegedly circumventing the countervailing duty in force on imports of product under consideration from China PR is “Saccharin” exported from Thailand also referred to as "Product under Investigation" or "PUI". PUI is classified under subheading 29251100 of the Customs Tariff Act. However, customs classifications are indicative only and in no way binding
- The application has been filed by M/s Swati Petro Products Private Limited who were the domestic industry in the original investigation. M/s Swati Petro Products Private Limited is neither related to an importer in India nor to any exporter in China, Thailand. Further, the applicant has not imported the PUC or PUI during the period of investigation.

D. Existing Measures

- The Designated Authority recommended imposition of countervailing duty on imports of Saccharine from China. Ministry of Finance imposed the same vide Notification No. 2/2019-

Customs (CVD) dated 30th August, 2019. The existing measure on PUC is in force till 29th July 2024.

E. Grounds for Alleged Circumvention and undermining remedial effect:

8. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing countervailing duty levied on PUC vide Notification No. 2/2019-Customs (ADD) dated 30th August, 2019; to PUI, from Thailand, allegedly circumventing the existing countervailing duty. The applicant has furnished reasons/ evidence for seeking anticircumvention investigation which includes:
 - a) Non-existence of any known producers of “Saccharin” in Thailand undertaking full-fledged production activities. Exports of “Saccharin” consigned from Thailand to India are substantially manufactured in China claiming the same as goods originating in Thailand. Exports of the product from Thailand allegedly constitutes circumvention of CVD in force on imports from China.
 - b) Change in pattern of trade whereby imports from China have declined and imports from Thailand have increased significantly.
 - c) The imports of PUI are prima facie subsidised and are undercutting the prices of the domestic industry.
 - d) Low demand of Saccharin in Thailand and exports from Thailand of PUI exist on account of imports of PUI from China.
9. The applicant has requested retrospective imposition of countervailing duty on import of circumventing products from Thailand from the date of initiation of investigation.
10. The Authority on the basis of prima facie evidence provided by the Applicant notes that exports of “Saccharin” consigned from Thailand are undermining the remedial effects of the existing countervailing duty measure imposed on imports of PUC from China PR.

E. Initiation

11. On the basis of the application filed by the applicant in the form and manner prescribed, contending circumvention of existing countervailing duty measure imposed on imports of PUC from China PR by imports of PUI from Thailand and having satisfied itself on the change in pattern of trade undermining the remedial effect of the existing countervailing duty measure, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9(1)(i) of the Act and Rules 25 & 26 of the CVD Rules to consider extension of the existing countervailing duty on the imports of PUC imported from China to the PUI imported from Thailand from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules. The Authority recommends provisional assessment on all imports of the PUI i.e. “Saccharin” from Thailand till the completion of this review.

G. Period of Investigation

12. The applicant has proposed the period of investigation (POI) for the present investigation as April 2021 – December 2021 (9 Months), However, the Authority has considered the POI as April 2021 to 31st March 2022 (twelve months). The injury period will cover the periods April 2018 - March 2019, April 2019 March 2020, April 2020 - March 2021 and the POI.

H. Subject countries

13. The subject country involved in circumvention are Thailand.

I. Submission of Information

14. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, and dd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
15. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed

separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

J. Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, and dd16-dgtr@gov.in within 37 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 7(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
20. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

K. Submission of Information on Confidential basis

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

29. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing nonconfidential versions of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority